



COVID – 19

रक्षा उपाय

स्थानीय स्वशासन मार्गदर्शिका



प्रवासियों के संगरोध से संबंधित समितियाँ -
कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്

KERALA INSTITUTE OF LOCAL ADMINISTRATION

08.05.2020

प्रवासी - अन्य राज्यों के केरलवासी वापस आये तो.....

प्रवासी - जब अन्य राज्य के केरलवासी वापस लौटते हैं,
तो उन्हें संगरोध में भर्ती होना चाहिए।
यह रोग की रोकथाम / बचाव कार्य में महत्वपूर्ण है।

निगरानी समितियों की स्थापना की जानी चाहिए:

- स्थानीय स्तर की निगरानी समिति
- वार्ड प्रमुख निगरानी समिति

स्थानीय शासन स्तर की निगरानी समिति – किस लिए ?


वार्ड स्तर की निगरानी समिति का पर्यवेक्षण

प्रवासी वापसी से संबंधित संगरोध संचालन की देखरेख
करना

स्थानीय शासन स्तर की निगरानी समिति: सदस्य

- ❖ समिति अध्यक्ष - स्थानीय स्वशासन संस्था अध्यक्ष
- ❖ स्थानीय निकाय विपक्षी प्रतिनिधि
- ❖ स्वास्थ्य स्थायी समिति के अध्यक्ष
- ❖ विधान सभा के सदस्य / विधान सभा के सदस्य का प्रतिनिधि
- ❖ पुलिस स्टेशन हाउस ऑफिसर / उनके प्रतिनिधि
- ❖ ग्राम अधिकारी
- ❖ स्थानीय सरकार के सचिव
- ❖ सहकारी बैंक के अध्यक्ष
- ❖ सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रमुख
- ❖ सामुदायिक स्वयंसेवक का एक प्रतिनिधि
- ❖ कुदुम्बश्री प्रतिनिधि
- ❖ आशा वर्करो के प्रतिनिधि
- ❖ पेंशनर्स यूनियन के प्रतिनिधि

समिति को नियमित रूप से संपर्क करने की आवश्यकता किसे है ?



कर्तव्यों और जिम्मेदारियाँ: क्या ?

- ❖ संगरोध केंद्रों का रखरखाव - आवश्यक समर्थन और सौंपे गए कार्यों के निष्पादन के साथ
- ❖ जिला प्रशासन से संपर्क करें और वार्ड स्तर की समिति से विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वालों के बारे में जानकारी एकत्र करें।

आवश्यकताएँ –

- ❖ घर के अलगाव की जानकारी दर्ज करने के लिए विशेष रजिस्टर का आवधिक अद्यतनीकरण
- ❖ स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को दैनिक सूचना / रिपोर्ट अग्रेषित करना

कर्तव्यों और जिम्मेदारियाँ: क्या ?

- ❖ उच्च जोखिम श्रेणियों (वरिष्ठ नागरिकों, जो प्रशामक देखभाल, गुर्दे के रोगियों, कैंसर के रोगियों) और विशेष विचार के लिए परिवार प्राप्त करने के शिक्षण सुनिश्चित करें।
- ❖ यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थाएं करें कि काँविड रक्षा के लिए सरकारी आदेश लागू किए जाएं।
- ❖ सुनिश्चित करें कि जिला आपदा राहत प्राधिकरण के प्रस्तावस्थानीय स्तर पर लागू हों।
- ❖ वार्ड स्तर समिति की गतिविधि का पर्यवेक्षण करें।

वार्ड स्तर निगरानी समिति - किस लिए ?

प्रवासी - अन्य राज्यों के केरलवासियों की वापसी के
मद्देनजर कोविड -19 प्रतिनिधिमंडल / रक्षा के वार्ड-स्तरीय
गतिविधियों के समन्वय के लिए।

वार्ड स्तर की निगरानी समिति का गठन – कैसे ?

राज्य में कोविड-19 निवारक गतिविधियों के समन्वय के लिए वार्ड सदस्य के तत्वावधान में जी।ओ। (यम यस)

नम. ५५/२०२० / ता।स्व।भ।व। तारीख,
२०/०३/२०२० के आदेश अनुसार स्थापित की गई

कम्युनिटी ग्रुप का नाम परिवर्तन कर के

वार्ड सदस्य के नेतृत्व में

वार्ड स्तर की निगरानी समितियों की स्थापना करें।

वार्ड स्तर की निगरानी समिति: सदस्य

- यदि निवास संघ में दो लोग या निवासी नहीं हैं, तो क्षेत्र के नागरिकों के दो प्रतिनिधि
- जन्मतिथि पुलिस प्रवक्ता
- कुदुम्बश्री संगठन के सदस्य
- स्वयंसेवक / कार्यकर्ता
- आंगनवाड़ी शिक्षक / शिक्षिका
- स्वास्थ्य कार्यकर्ता
- एससी / एससी प्रमोटर
- आशा कार्यकर्ता
- जो स्वैच्छिक सरकारी अधिकारी वो उस जगह पर रहते हैं।₁₀

वार्ड स्तर की निगरानी समिति - कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ

- विदेशों और अन्य राज्यों से लौटने वालों का घर अलगाव सुनिश्चित करें
- अलगाव में रहने वालों को रोग लक्षण हैं, तो उनके बारे में वास्तविक समय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सूचित करें
- निगरानी समिति द्वारा सौंपे गए प्रत्येक व्यक्ति को दैनिक आधार पर घरों का दौरा करना चाहिए (ऐसे सदस्य जो इस तरह की घरेलू यात्रा पर जाते हैं, उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के साथ स्थानीय निकाय सुनिश्चित करना चाहिए, जिसमें मुखौटा और दस्ताने भी शामिल हैं)।

वार्ड स्तर की निगरानी समिति - कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ

- विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों (अपंग व्यक्ति, अन्य बीमारियों वाले लोग, मधुमेह, बुढ़ापे सहित जीवनशैली संबंधी विकार) के बारे में जानकारी एकत्र करें, भोजन और दवा सहित आवश्यक सहायता प्रदान करें।
- उन्हें और उनके परिवारों को शिक्षित करने और आवश्यक होने पर परामर्श प्रदान करने के उपाय भी किए जाने चाहिए।
- इन घरों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टेलीमेडिसिन प्रणाली में शामिल डॉक्टरों के बारे में पूरी संपर्क जानकारी हो।

सावधान रहे , सुसज्जित रहे

अपने हाथ धोएं
मास्क पहनें
शारीरिक दूरी बनाए रखें
मत थूको हार जाएंगे !!





0487-2455000

0487-2204097



helpdesk@kila.ac.in



KERALA INSTITUTE OF LOCAL ADMINISTRATION

Website : www.kila.ac.in, Email : info@kila.ac.in